भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4158
उत्तर देने की तारीख- 19/08/2025

दिव्यांगजनों के लिए झारखंड में सुविधाएं

4158. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को जिला-वार कुल कितने यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए हैं;

(ख) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त राज्य में, विशेषकर गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिलों में पर्याप्त पुनर्वास केन्द्र और सहायक उपकरण वितरण शिविर स्थापित किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा झारखंड में दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंच में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) परियोजना, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एक प्रमुख पहल है, जिसे मई 2016 में शुरू किया गया था। झारखंड राज्य में 13.08.2025 तक जारी किए गए यूडीआईडी कार्डों की जिलावार संख्या दर्शाने वाली सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) विभाग 'सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)' योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके तहत झारखंड राज्य सहित देश भर में पात्र दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों / उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी की जाती है। पिछले पांच

वर्षों के दौरान एडिप योजना के तहत झारखंड राज्य में आयोजित शिविरों, कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या और उपयोग की गई निधि का जिलावार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

झारखंड राज्य में दिव्यांगजनों के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए रांची में समेकित क्षेत्रीय केंद्र भी स्थापित किया गया है। झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में सहायक उपकरण संवितरण शिविर आयोजित किए गए। पिछले पांच वर्षों में गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिलों में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या सहित आयोजित शिविरों का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ग) जहां तक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का संबंध है, झारखंड राज्य सहित देश भर में दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंच में सुधार के लिए दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस), जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र, सुगम्य भारत अभियान (एआईसी), छात्रवृत्ति, सुगम्य अधिगम सामग्री का विकास, कौशल विकास और बाधा मुक्त वातावरण को कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा, झारखंड राज्य में पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने, विशेष शिक्षा में डिप्लोमा प्रदान करने, सहायक उपकरणों का संवितरण करने, यूडीआईडी कार्ड जारी करने में सहायता करने और शैक्षिक कल्याण गतिविधियों के लिए रांची में समेकित क्षेत्रीय केंद्र भी स्थापित किया गया है।

******

अनुबंध-I

"दिव्यांगजनों के लिए झारखंड में सुविधाओं" के संबंध में दिनांक 19.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4158 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

झारखंड राज्य में जारी किए गए विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्रों की जिलावार संख्या		
राज्य का नाम	जिला	13.08.2025 तक जारी यूडीआईडी कार्डों की संख्या
झारखंड	बोकारो	13778
	चतरा	1911
	देवघर	4110
	धनबाद	7327
	दुमका	8521
	पूर्वी सिंहभूम	14855
	गढ़वा	9808
	गिरिडीह	11367
	गोड्डा	15694
	गुमला	10787
	हजारीबाग	11768
	जामताड़ा	6927
	खूंटी	1921
	कोडरमा	5788
	लातेहार	4026
	लोहरदगा	5897

	पाकुड़	6529
	पलामू	10580
	रामगढ़	11028
	रांची	16109
	साहेबगंज	8801
	सरायकेला खरसावां	2533
	सिमडेगा	4820
	पश्चिमी सिंहभूम	7698
कुल		202583

अनुबंध-II

“दिव्यांगजनों के लिए झारखंड में सुविधाओं” के संबंध में दिनांक 19.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4158 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

जिलेवार आयोजित सहायक उपकरण वितरण शिविरों की संख्या, शामिल लाभार्थियों की संख्या और उपयोग की गई निधि			
जिला का नाम	शिविरों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधि (रुपये लाख में)
बोकारो	7	1536	122.27
चतरा	6	1094	84.99
देवघर	7	1663	136.92
धनबाद	8	1136	92.18
दुमका	4	1284	107.82
पूर्वी सिंहभूम	4	1396	102.19
गढ़वा	6	1079	83.72
गिरिडीह	8	2626	218.28
गोड्डा	6	1938	142.35
गुमला	5	1441	120.77
हजारीबाग	4	734	63.23
जामताड़ा	5	689	55.23
खूंटी	5	1443	115.26
कोडरमा	7	1698	145.74
लातेहार	4	760	60.33

लोहरदगा	6	687	58.46
पाकुर	7	865	63.56
पलामू	5	2148	204.88
रामगढ़	4	627	48.66
रांची	38	3699	400.46
साहेबगंज	4	937	75.19
सरायकेला खरसावां	6	1837	146.65
सिमडेगा	4	506	39.45
पश्चिमी सिंहभूम	5	1562	114.36
कुल	165	33385	2802.93

अनुबंध -III

"दिव्यांगजनों के लिए झारखंड में सुविधाओं" के संबंध में दिनांक 19.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4158 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

जिला का नाम	शिविर का प्रकार	कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या
गिरिडीह	एडिप	464
	समग्र शिक्षा अभियान	1119
	राष्ट्रीय वयोश्री योजना	36
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	155
बोकारो	एडिप	402
	समग्र शिक्षा अभियान	192
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	85
धनबाद	एडिप	264
	समग्र शिक्षा अभियान	327
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	110
कुल		3154